**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 960**

**सोमवार, 10 फरवरी, 2025 / 21 माघ, 1946 (शक)**

**ओएसएच कोड के उपबंधों का अनुपालन**

**960. श्री तनुज पुनियाः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच कोड) के उपबंधों के अनुसार प्रवासी कामगारों को उनके मूल स्थान पर जाने और आने के लिए यात्रा भत्ता प्रदान करने वाले नियोक्ताओं का बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन कामगारों की संख्या कितनी है जिन्हें इस प्रकार का भत्ता प्रदान किया गया है; और

(ख) उक्त संहिता के उपबंधों के अनुसार नियोक्ताओं द्वारा मुफ्त चिकित्सा जांच की सुविधा प्राप्त करने वाले कामगारों की उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले सहित राज्य-वार संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) और (ख): व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ता को अंतर-राज्यीय प्रवासी को एक वर्ष में उसके रोजगार के स्थान से उसके मूल स्थान तक आने-जाने के लिए किराए की एकमुश्त राशि, चिकित्सा जांच की सुविधा का भुगतान करने का प्रावधान करती है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 अभी लागू नहीं हुई है।

नियोक्ताओं द्वारा यात्रा भत्ते के विवरण और प्रवासी कामगारों की चिकित्सा जांच के आंकड़ों का रखरखाव केन्द्रीकृत रूप से नहीं किया जाता है।

*****